

	राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 25, सोमवार, शाके 1935-सितम्बर 16, 2013 Bhadra 25, Monday, Saka 1935-September 16, 2013	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2013

संख्या प. 2 (41) विधि/2/2013:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

(संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 10 जून, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा।



2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) की धारा 24 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार की सलाह से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के परामर्श से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंसठ वर्ष की आयु" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सतर वर्ष की आयु" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 12) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्यवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, September 16, 2013**

**No. F. 2 (41) Vidhi/2/2013.**—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 16, 2013 51(3)

Pashuchikitsa Aur Pashu Vigyan Vishwavidyalaya, (Sanshodhan)  
Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 30):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND  
ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2013**

(Act No. 30 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 15<sup>th</sup> day of  
September, 2013]

*An*

*Act*

*to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal  
Sciences Act, 2010.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the  
Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be  
called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences  
(Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from  
10th June, 2013.

**2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 13 of  
2010.-** In section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and  
Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010),-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "on the  
advise of the State Government", the expression "in  
consultation with the State Government" shall be  
substituted; and

(ii) in second proviso to sub-section (4), for the existing  
expression "age of sixty five years", the expression  
"age of seventy years" shall be substituted.

**3. Repeal and savings.-** (1) The Rajasthan University of  
Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Ordinance, 2013  
(Ordinance No. 12 of 2013) is hereby repealed

51(4) . राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 16, 2013 भाग 4 (क)

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

---

4

**Government Central Press, Jaipur.**